खंड-10 संख्या-6

बिहार विधान-सभा वाद्वृत्त

(भाग-1—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि 27 जून, 1983।

विषय-सूची पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या 17, 18, 19 एवं 20। 1—9

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586 एवं 589। 9-33

परिशिष्ट 1 एवं 2 (प्रश्नों के लिखित उत्तर) ... 35—141

दैनिक निबंध 143-144

टिप्पणी :—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

उप समाहर्त्ता का स्थानान्तरण।

578. श्री मदन मोहन चौधरी—क्या मंत्री, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह एवं श्री कामेश्वर पाण्डेय उप-समाहर्त्ता के पद पर दरभंगा समाहरणालय में तीन वर्षों से अधिक दिनों से पदस्थापित हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इनका स्थानान्तरण करना चाहती है ?

श्री कुमुदरंजन झा—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है। श्री सिंह को अन्यत्र पद स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है।

(2) श्री कामेश्वर पाण्डेय, उप समाहर्त्ता, दरभंगा को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या-4565, दिनांक 30 अप्रील, 1983 के द्वारा आवासीय दंडाधिकारी, थर्मल पावर स्टेशन, कांटी मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया गया है।

श्री मदन मोहन चौधरी—कब तक हटायेंगे ?

श्री कुमुदरंजन झा—इसी सप्ताह में कर देंगे।

चोरी की रोकथाम।

579. श्री रामदेव वर्मा—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 17 फरवरी, 1983 को नवादा जिलान्तर्गत गोनावा जैन श्वेताम्बर मन्दिर से दो जैन मूर्त्तियों की चोरी का मामला नवादा थाने में दर्ज किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि इस तरह 1955 से आज तक केवल नालन्दा जिले के ऐतिहासिक गांव तेंतराव, नालन्दा, घोसरावा, राजगीर, मोहनपुर, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर तथा नवादा जिले के ऐतिहासिक गांव महरांवा, पकरीबरांवां, डुमरांवा, सिंघना, ढोहा, बमौल, अफसर और रोह से क्रमशः 245 और 150 मूर्त्तियों की चोरी हुई हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि इस तरह 1955 से आजतक नालन्दा एवं नवादा जिले के विभिन्न धार्मिक स्थानों से चोरी की गयी मूर्त्तियों की कुल कीमत 4 करोड़ रुपये है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार इस तरह ऐतिहासिक मूर्त्तियों की चोरी की घटनाओं को रोकथाम और चोरी की गयी मूर्त्तियों को पता लगाने के लिये कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

श्री रामाश्रय प्र० सिंह—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है। इस संबंध में नवादा थाना कांड स०—0042/83, दिनांक 27 फरवरी, 1983 धारा 461/379 भा० दं० वि० विरूद्ध अज्ञात दर्ज किया गया है।

(2) यह बात सही नहीं है कि नालंदा जिला के ऐतिहासिक गांव तेतरामा, नालंदा, घोसरांवा, राजगीर, मोहनपुर, जगदीशपुर एव मुजफ्फरपुर में मूर्त्ति चोरी की कोई घटना घटित हुयी है। बल्कि गिरिचक थाना के जैन श्वेतम्बर मंदिर से एक मूर्त्ति की चोरी की घटना ३ अगस्त, 1975 को हुयी थी। जहां तक नवादा जिले के ऐतिहासिक विभिन्न गांवों से मूर्त्ति चोरी का प्रश्न है इस संबंध में कांडों की अभिलेखों की जांच कर मूर्त्ति चोरी का घटनाओं का विवरण प्राप्त किया जा रहा है चूंकि नवादा जिला, 1973 से कार्यरत है।

(3) नालंदा जिला में दिनांक 3 अगस्त, 1975 का हुई मूर्त्ति की चोरी की कीमत लगभग 1,200 रु० है। नवादा जिले में की गयी मूर्त्तियों की चोरी की घटना की जांच की जा रही है। मूर्त्तियों की कीमत आंकना तत्काल संभव नहीं है।

(4) ऐतिहासिक स्थानों में पड़ी पुरानी मूर्त्तियों की सुरक्षा के लिये सभी संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक निदेश आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत किया गया है।

श्री रामदेव वर्मा—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न गंभीर है। ऐतिहासिक मूर्त्तियों की चोरी हो रही है लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आया है वह बिलकुल स्पष्ट नहीं है।

अध्यक्ष—आप पूरक पूछें।

श्री रामदेव वर्मा—अध्यक्ष महोदय मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि खंड (1) के उत्तर के तहत जो मुकदमा है जैन मंदिर में मूर्त्ति की चोरी जिस दिन हुयी उसी दिन वहां के प्रबंधक ने स्थानीय दारोगा को मंदिर में कुत्ते के साथ आने के लिये सूचना दी थी इसलिये वहां पर चोर ने अपना कपड़ा छोड़ दिया था लेकिन थाना प्रभारी कुत्ता लेकर नहीं आये ? इसका क्या कारण है।

श्री रामाश्रय सिंह—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में इतना डिटेल नहीं था। इन्होंने पूछा

का कि मुकदमा हुआ या नहीं तो मैंने कहा कि उत्तर स्वीकारात्मक है। माननीय सदस्य यदि ऐसा कहते हैं तो मैं इसकी जांच करा दूंगा।

श्री रामदेव वर्मा—क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि बिहारशरीफ और नवादा आदि में जो मूर्त्तियां चोरी हुई हैं वह वहां से भी चोरी हो गई है जहां चुराके रखा गया था ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—सरकार को इसका जानकारी नहीं है लेकिन माननीय सदस्य को इस चीज को अपने मूल प्रश्न में ही देना चाहिये था।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री इस चीज को आप ग्रहण करें।

श्री रामदेव वर्मा—अध्यक्ष महोदय, चार करोड़ के मूर्त्तियों की चोरी का सवाल है ······ ।

अध्यक्ष—चोरी की गई माल का भैलूएशन आपने कैसे तय कर लिया ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—जो माल की बात हो रही है उसकी कीमत 1,200 रुपया आंकी गई है।

श्री रामदेव वर्मा—हुजूर, खंड (2) के उत्तर में जो कहा गया कि 1,200 रुपये की मूर्त्तियों की चोरी हुई है वह जवाब सरकार का साफ गलत है। मैं इनके उत्तर को चुनौती देता हूं।

श्री रामाश्रय राय—क्या सरकार को पता है कि प्रश्न के खंड (3) के परिप्रेक्ष्य में जो उत्तर दिया गया था और जो चोरी हुई है इस चोरी के सम्बन्ध में निगरानी विभाग ने जांच की थी और इस जांच ने इसी विभाग के श्री सीताराम राय पर प्रोसीडिंग्स चलाने का सुझाव दिया था ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—इसकी जानकारी प्राप्त कर मैं सदन को और माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा।

श्री जनार्दन तिवारी—क्या यह बात सही है कि बिहार में जो 1955 से मूर्त्तियों की चोरियां हो रही हैं उसमें इंटरनेशनल गैंग का हाथ रहा है ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—यह तथ्य सही है कि मूर्त्तियों की जो चोरी पूरे देश में हो रही है उसमें कोई इंटरनेशनल गैंग शामिल है।

श्री रमेन्द्र कुमार—क्या यह सही है कि इन चोरियों में अन्तर्राज्यीय गिरोह सक्रिय है ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—माननीय सदस्य तो स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय हैं।

श्री इन्दर सिंह नामधारी—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने आक्षेप किया है माननीय सदस्य पर।

श्री रमेन्द्र कुमार—अध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिये कहा कि अन्तर्राज्यीय गिरोह इसमें सक्रिय है क्योंकि जो मूर्त्तियां चोरी गई हैं वे कलकत्ता में पायी गयी हैं।

श्री रामलखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, यह एक ही ऐसी घटना नहीं है बल्कि हमारे प्राचीन बहुमूल्य मूर्त्तियों की बहुत चोरी हो रही है तो इसको रोकथाम करने के लिये कुछ उपाय करना चाहती है सरकार यदि हां तो क्या ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—सरकार करना चाहती है और इसके लिये पूरे राज्य के पुलिस स्टेशनों से आग्रह किया जा रहा है कि वे इस सम्बन्ध में चौकस रहें और देख-भाल करते रहें।

विद्युत् केन्द्र का निर्माण।

580. श्री ब्रजकिशोर सिंह—क्या मंत्री, विद्युत् विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के मधुबन में 33 हजार के० भी० ए० का एक विद्युत् केन्द्र का निर्माण बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा गत एक वर्ष से किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य छः महीने से बन्द है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस विद्युत् केन्द्र के निर्माण का कार्य 70 प्रतिशत से अधिक पूरा हो गया है परन्तु कुछ सामान के लिये यह कार्य बन्द है;

(3) क्या यह बात सही है कि इस विद्युत् केन्द्र के निर्माण हो जाने से पकड़ दयाल मधुबन, ताही तथा महेसी प्रखंडों के 100 राजकीय नलकूप तथा 500 निजी नलकूपों को सुचारु रूप से बिजली मिलेगी जिससे 10 हजार एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई होगी तथा 500 से अधिक लघु उद्योग भी ठीक से चलने लगेंगे;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार मधुबन विद्युत् केन्द्र का निर्माण सितम्बर, 1983 तक पूरा करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रामदेव राय—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।